

प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इंटर कॉलेज		
क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं (अनिवार्य)
1	2	3
1.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– इतिहास	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– जीव विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– हिन्दी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
5.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– उर्दू	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
6.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– संस्कृत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
अधिमानी अर्हताएं:– अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा:– (1) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।		
प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय		
क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं (अनिवार्य)
1	2	3
1.	प्रवक्ता– समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, संस्कृत या	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि के साथ दृष्टिक्षीणता/श्रवण क्षीणता में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 एम0एड0 की उपाधि। (तीन) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। (चार) क्षीण दृष्टि जनों/श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) में पंजीकरण। अधिमानी अर्हताएं अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा		
क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं
1.	मनोविज्ञान– प्राध्यापक	अनिवार्य (क) अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्नपत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; या (ख) अपराध-विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि;

		या (ग) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें एम0ए0 स्तर पर सामाजिक मनोविकार (सोशल पैथालाजी) या सामाजिक अव्यवस्था (डिसआरगेनाइजेशन) का एक प्रश्न-पत्र हो या स्नातकोत्तर उपाधि के किसी प्रश्न-पत्र के बदले में अपराध मनोविज्ञान के एकपक्ष पर अपराध-विज्ञान शोध प्रबन्ध हो। <u>अधिमानि</u> (1) (क) विषय में डॉक्टर की उपाधि; (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान। (2) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	अपराध-विज्ञान और दण्ड शास्त्र-प्राध्यापक	<u>अनिवार्य</u> समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव-शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, बशर्ते कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न-पत्र लिखा गया हो- (क) समाज शास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या समाज मानवशास्त्र, और (ख) अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान। <u>अधिमानि</u> (1) (क) विषय में डॉक्टर की उपाधि; (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान। (2) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।